

# पालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

2023

तारीख दायरा  
09.06.2023

तारीख फैसला  
8/12/25

तोन अधिकारी- दीपक महावर (आर.ए.एस.)

## उनवान

पवन कुमार आत्मज प्रभुलाल जी जाति मेघवाल  
कंचन बाई बेवा प्रभुलाल जी जाति मेघवाल निवासीगण पोलाई कला तहसील  
दीगोद हाल राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान  
(वादीगण)

## बनाम

- 1- जगदीश आत्मज हीरालाल जाति मेघवाल निवासी पोलाई कला हाल बालीता रोड, कच्ची बस्ती, कोटा जिला कोटा
- 2- कमला पुत्री हीरालाल, पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी दीगोद जिला कोटा
- 3- सुलोचना पुत्री बाबूलाल, पत्नी शम्भू दयाल जाति मेघवाल निवासी रायपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
- 4- मुकेश पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी पोलाई कला जिला कोटा
- 5- दिनेश पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल नि0 रायपुरा कोटा तह0 लाडपुरा कोटा
- 6- मन्जू बेवा बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी पोलाई कला तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान
- 7- अब रेखा बेवा रामनिवास जाति मेघवाल निवासी कुन्हाडी बालापुरा कोटा
- 8- अनुष्का पुत्री रामनिवास जाति मेघवाल नाबालिग
- 9- कशिश पुत्री रामनिवास जाति मेघवाल नाबालिग जरिये वलिया माता रेखा बेवा रामनिवास निवासीगण कुन्हाडी बालापुरा कोटा जिला कोटा राजस्थान
- 10- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से -  
प्रतिवादीगण की ओर से-

श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट  
श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

-:: निर्णय ::-

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

1-यह कि ग्राम नोहती तहसील दीगोद में खाता नं० 138 नया, पुराना 92 पर निम्न विवरण की भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं० 1 ता 9 व मृतक गंगा बाई बेवा के शामिलता खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सन्वत् 2073 से 2076 संलग्न है।

खसरा नं. 121 की 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 136 की 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 139 की 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 140 की 0.16 हेक्टर, खसरा नं. 143 की 0.22 हेक्टर, खसरा नं. 149 की 0.59 हेक्टर, खसरा नं. 96 की 0.56 हेक्टर, कुल 6 कित्ता की 4.33 हेक्टर भूमि

2- यह कि उपरोक्त भूमि में वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी नं० 1-2 मृतक गंगा बाई बेवा का प्रत्येक का 1/8, 1/8 तथा प्रतिवादी नं० 3 ता 6 का प्रत्येक का 1/40, 1/40 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 7-8-9 का 1/120, 120 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है।

3. यह कि ग्राम नोहती तहसील दीगोद में खाता नं० 136 नया, पुराना 90 पर निम्न विवरण की भूमि प्रतिवादी नं० 1 ता 9 व मृतक गंगाबाई के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न है। खसरा नं. 149 की 0.59 हेक्टर खसरा नं. 97 की 0.65 हेक्टर कुल 2 कित्ता की 1.24 हेक्टर भूमि

4- यह कि उपरोक्त भूमि में वादी नं० 1 का 1/8, वादी नं० 2 का 5/8 हिस्सा, व प्रतिवादी नं० 1-2 व मृतक गंगा बाई बेवा का प्रत्येक का 1/16, 1/16 तथा प्रतिवादी नं० 3 ता 6 का प्रत्येक का 1/80, 1/80 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 7-8-9 का 1/240, 1/240 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है।

5- यह कि उपरोक्त दोनों खातों की भूमियां पुश्तैनी भूमियां हैं। जिनका वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य 35-40 वर्ष पूर्व पारिवारिक विभाजन कर लिया था जिसके तहत वादीगण के हिस्से में व कब्जे काश्त में ग्राम नोहती की खसरा नम्बर 96 की 0-56 हेक्टर, खसरा नम्बर 97 की 0-65 हेक्टर भूमि व अन्य भूमि आयी। तथा प्रतिवादी नं० 1 जगदीश व 2 ता 9 के हिस्से व कब्जे में ग्राम नोहती की खसरा नम्बर 149 की 0-59 हेक्टर भूमि व अन्य भूमि हिस्से व कब्जे काश्त में आयी। इसी प्रकार सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

8. यह कि उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी भूमियों का वादीगण व प्रतिवादी नं० 1 ता 9 को रिकार्ड के अनुसार विभाजन करते हुये खातेदार घोषित किया जाना व विभाजन किया जाना आवश्यक हो गया है किन्तु प्रतिवादीगण नं० 1 ता 9 वादीगण के केवल मात्र ख०न० 96 व 97 की भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व वादीगण को उनके हिस्से में प्राप्त भूमि से बैदखल करने पर आमादा है। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

9. यह कि वादीगण ने प्रतिवादी नं० 1 ता 9 से विभाजन करने हेतु दिनांक 3-4-2023 को कहा तो प्रतिवादी नं० 1 ता 9 ने उक्त भूमियों का विभाजन करने से इन्कार करते हुये वर्तमान में शामलाती दर्ज भूमि में से ख०न० 96 व 97 की भूमि को रहन बेचान करने व वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बैदखल करने की धमकी दी।

10) यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण से किये जाचनीय आयाकत में शोषणकारी सुधारों द्वारा किमान तथा स्थान निर्धारण का बाद प्रतिवादीगण से शिवाफ प्राप्त आवश्यक हो रहा है। इस कारण वह माह भिन्न है।

11) यह कि बाद कायम दिनांक 2-4-2023 को प्रमाण कुशा प्रतिक्रियादीगण में प्रमाण को उक्त भूमियों का किमान कराने में कुशाफ करके हुए एक वादीगण से कल्लो के कल्लो 30 व 37 की भूमि को रजम केवाम व खुद खुद करके व वादीगण को उपरोक्त करके से कल्लो काशत में व्यवसाय पैदा कर देखवाने करके की माहकी है।

12) यह कि प्रतिवादी ने 16 भूमि की केण्ड वीकल में से दो बाद में कर्तव्यगत प्रतिवादी प्रकल्प बनाया गया है। खातेदार गंगा माई का इलाकाम की गया है उसको कर्तव्य प्रतिवादी ने 1 व 2 है इस कारण गंगासाई का नाम डिपॉजिट किया जाते।

अन्य माह भिन्न कर प्रार्थना है कि वादीगण को 188 में प्रतिवादीगण से शिवाफ भिन्न प्रमाण की आज्ञा व डिप्ली माहित की जाते।

13) कि बावपत्र की नद तक 1, 2 में वर्णित ग्राम नौहती तहसील सींगोद की खुशला नं 142 की 0.42 हेक्टर खसत नं 136 की 0.05 हेक्टर खसत नं 138 की 1.44 हेक्टर खसत नं 144 की 0.40 हेक्टर खसत नं 143 की 0.22 हेक्टर खसत नं 145 की 0.33 हेक्टर खसत नं 30 की 0.20 हेक्टर कुल 8 कित्तों की 4.39 हेक्टर भूमि ग्राम नौहती की खसत नं 145 की 0.50 हेक्टर खसत नं 37 की 0.35 हेक्टर कुल 2 कित्तों की 1.24 हेक्टर भूमि भूमियों का वादीगण व प्रतिवादीगण से केण्ड किमान किया जाकर कर कर्तव्य गोपित करके हुए अलग खाता दर्ज किया जाते।

14) कि प्रतिवादी ने 16 की आदेश दिया जाते कि वे उपरोक्त प्रकार से सज्जस्ट रिफार्ड में सुधार सुधार कर प्रमाण दर्साव कर पाकाम रिपोर्ट भिजावाते।

15) कि स्थान निर्धारण की इस आशय की प्रसारित की जाते कि प्रतिवादीगण वादीगण को ग्राम नौहती की खसत नंबर 36 की 1.45 हेक्टर खसत नंबर 37 की 1.44 हेक्टर भूमि के कल्लो काशत में गदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे और उक्त भूमि में वादीगण के कर्तव्य नहीं करे और उपरोक्त भूमि को कथला उपरोक्त किसी नाम की भूमि को केवाम प्रकल्प से रजम केवाम प्रकल्प व खुद खुद आदि नहीं करे। उक्त कृत्य न तो करके करे और न प्रमाण प्रतीति में कराते।

16) कि वादीगण को प्रतिवादीगण से पकड़में का खर्च कितना जाते।

17) कि उपर न्यायमें से यह भी वादीगण को प्रमाण की जाते।

वादी की ओर से बालाम दस्तावेज

1) पकड़ उपरोक्त ग्राम नौहती संवत् 2073-2074 खाता 50 नया 138

2) पकड़ उपरोक्त ग्राम नौहती संवत् 2073-2074 खाता 50 नया 138

10. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा दारी, दुरुस्ती इन्द्राज, विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

11 यह कि वाद कारण दिनांक 3-4-2023 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त भूमियों का विभाजन कराने से इन्कार करते हुये उक्त वादीगण के कब्जे की ख०न० 96 व 97 की भूमि को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने व वादीगण को उसने हिस्से के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर बेदखल करने की धमकी दी।

12. यह कि प्रतिवादी नं० 10 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। खातेदार गंगा बाई का देहावसान हो गया है उसके वारिस प्रतिवादी नं० 1 व 2 है इस कारण गंगाबाई का नाम डिलीट किया जावे।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे-

1. कि वादपत्र की मद नम्बर 1, 3 में वर्णित ग्राम नोहती तहसील दीगोद की खसरा नं. 121 की 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 136 की 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 139 की 1.41 हेक्टर, खसरा नं. 140 की 0.16 हेक्टर, खसरा नं. 143 की 0.22 हेक्टर, खसरा नं. 183 की 0.63 हेक्टर, खसरा नं. 96 की 0.56 हेक्टर, कुल 6 किता की 4.33 हेक्टर भूमि, ग्राम नोहती की खसरा नं. 149 की 0.59 हेक्टर, खसरा नं. 97 की 0.65 हेक्टर कुल 2 किता की 1.24 हेक्टर भूमि भूमियों का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर कर खातेदार घोषित करते हुये अलग खाता दर्ज किया जावे।

2. कि प्रतिवादी नं. 10 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

3. कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को ग्राम नोहती की खुसस नम्बर 96 की 0-56 हेक्टर, खसरा नम्बर 97 की 0-65 हेक्टर भूमि के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा नही करे ओर उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नही करे ओर उपरोक्त भूमि को अथवा उसके किसी भाग की भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान, अन्तरण व खुर्द बुर्द आदि नही करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे।

4. कि वादीगण को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे।

5. कि अन्य सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

**वादी की ओर से संलग्न दस्तावेज**

1. नकल जमाबन्दी ग्राम नोहती सम्वत 2073-2076 खाता सं० नया 136

2. नकल जमाबन्दी ग्राम नोहती सम्वत 2073-2076 खाता सं० नया 138

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। दीगण की ओर से श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया जो ल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से राजीनामा होने उभय पक्षकारान की ओर से सहमति से राजीनामा क्रमशः दिनांक 08.04.2025 को उत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश न्या जो शामिल मिसल किया गया। वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नैयम 17 व धारा 151 सीपीसी बाबत ग्राम पोलाईकला की भूमि ख0न0 159 रकबा 0.67 ख0न0 182 रकबा 0.03 है0 ख0न0 309 रकबा 0.20 है0 की भूमि को निर्णय डिक्री में शामिल करने बाबत पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा निम्न रूपेण पेश किया गया।

यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान के माननीय न्यायालय में जैरकार है उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिसके तहत निम्न निवेदन करते हैं

1- यह कि ग्राम नोहती के माल में दो खातो में खसरा न0 96,97,136,139,140,143,183 व 149 की भूमि स्थित है तथा इसके अलावा पक्षकारान के सामलाती खाते में ग्राम पोलाईकला में खसरा न0 159,182 व 309 की 0.90 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है।

2- यह कि ग्राम नोहती व ग्राम पोलाईकला की विवादित भूमियों का आपसी पारिवारिक विभाजन पक्षकारान के मध्य पूर्व में हो चुका है उसी अनुरूप मौके पर काबिज काशत है। जिसके आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी लिखित बंटवारा दिनांक 13. 04.2023 को आलेखित हो चुका है। उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में बंटवारा किया जाना आवश्यक है। जिससे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

3-यह कि वादीगण के हिस्से में ग्राम नोहती तहसील दीगोद की खसरा न0 96 व 97 की भूमि वादीगण पवन कुमार व कंचन बाई के हिस्से में आई जिस पर पन कुमार वादी ने कृषि बिजली कनेक्शन करवा रखा है तथा उक्त भूमि वादीगण की काबिज काशत है वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

4-यह कि ग्राम पोलाई तहसील दीगोद की खसरा न0 309 की भूमि वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा खसरा न0 159 की 0.67 है भूमि वादीगण के हिस्से में आयी है। जिसका पूर्व में पारिवारिक बंटवारा हो चुका है जिस पर वादीगण ही काबिज काशत है का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है। यह कि सामलाती रूप से ग्राम पोलाई की भूमि खसरा न0 309 ग्राम नोहती की भूमि खसरा न0 139 पर वादीगण व प्रतिवादीगण सामलाती रूप से खातेदार घोषित किया जावे।

के ग्राम नाहती की खसरा न0 96 व 97 व 159 की भूमि छोड़कर शेष खसरा न0 इती की ख0न0 121,136,140,143,183,149 की भूमि पर प्रतिवादीगण खातेदार किया जावे वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पोलाईकला की ख0न0 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की जावे।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामानुसार उक्त वाद में ग्राम पोलाईकला की भूमि को शामिल करते हुए वाद डिक्री किये जाने का आदेश करें।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की ओर से सहमति से राजीनामा प्रस्तुत करने पर उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर आदेशिका पर लिये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत सहमति से राजीनामा को वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं की है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात तथा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य प्रस्तुत राजीनामा को स्वाकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत हुआ है:-

### राजीनामा

यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान के माननीय न्यायालय में जैरकार है उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिसके तहत निम्न निवेदन करते हैं

1- यह कि ग्राम नोहती के माल में दो खातो में खसरा न0 96,97,136,139,140,143,183 व 149 की भूमि स्थित है तथा इसके अलावा पक्षकारान के सामलाती खाते में ग्राम पोलाईकला में खसरा न0 159,182 व 309 की 0.90 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है।

2- यह कि ग्राम नोहती व ग्राम पोलाईकला की विवादित भूमियों का आपसी पारिवारिक विभाजन पक्षकारान के मध्य पूर्व में हो चुका है उसी अनुरूप मौके पर काबिज काशत है। जिसके आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी लिखित बंटवारा दिनांक 13.04.2023 को आलेखित हो चुका है। उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में बंटवारा किया जाना आवश्यक है। जिससे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

3- यह कि वादीगण के हिस्से में ग्राम नोहती तहसील दीगोद की खसरा न0 96 व 97 की भूमि वादीगण पवन कुमार व कंचन बाई के हिस्से में आई जिस पर पन कुमार वादी ने कृषि विजली कनेक्शन करवा रखा है तथा उक्त भूमि वादीगण की काबिज काशत है वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

के ग्राम नाहती की खसरा न0 96 व 97 व 159 की भूमि छोड़कर शेष खसरा न0 121,136,140,143,183,149 की भूमि पर प्रतिवादीगण खातेदार किया जावे वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पोलाईकला की ख0न0 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की जावे।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामानुसार उक्त वाद में ग्राम पोलाईकला की भूमि को शामिल करते हुए वाद डिक्री किये जाने का आदेश करें।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की ओर से सहमति से राजीनामा प्रस्तुत करने पर उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर आदेशिका पर लिये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत सहमति से राजीनामा को वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं की है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात तथा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य प्रस्तुत राजीनामा को स्वाकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत हुआ है:-

### राजीनामा

यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान के माननीय न्यायालय में जैरकार है उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिसके तहत निम्न निवेदन करते हैं

1- यह कि ग्राम नोहती के माल में दो खातो में खसरा न0 96,97,136,139,140,143,183 व 149 की भूमि स्थित है तथा इसके अलावा पक्षकारान के सामलाती खाते में ग्राम पोलाईकला में खसरा न0 159,182 व 309 की 0.90 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है।

2- यह कि ग्राम नोहती व ग्राम पोलाईकला की विवादित भूमियों का आपसी पारिवारिक विभाजन पक्षकारान के मध्य पूर्व में हो चुका है उसी अनुरूप मौके पर काबिज काशत है। जिसके आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी लिखित बंटवारा दिनांक 13.04.2023 को आलेखित हो चुका है। उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में बंटवारा किया जाना आवश्यक है। जिससे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

3- यह कि वादीगण के हिस्से में ग्राम नोहती तहसील दीगोद की खसरा न0 96 व 97 की भूमि वादीगण पवन कुमार व कंचन बाई के हिस्से में आई जिस पर पन कुमार वादी ने कृषि विजली कनेक्शन करवा रखा है तथा उक्त भूमि वादीगण की काबिज काशत है वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

कि ग्राम पोलाई तहसील दीगोद की खसरा न0 309 की भूमि वादीगण का 1/2 तथा खसरा न0 159 की 0.67 है भूमि वादीगण के हिस्से में आयी है। जिसका पूर्व स्थावरिक बंटवारा हो चुका है जिस पर वादीगण ही काबिज काश्त है का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है। यह कि सामलाती रूप से पोलाई की भूमि खसरा न0 309 ग्राम नोहती की भूमि खसरा न0 139 पर वादीगण व प्रतिवादीगण सामलाती रूप से खातेदार घोषित किया जावे।

5- यह कि ग्राम नाहती की खसरा न0 96 व 97 व 159 की भूमि छोडकर शेष खसरा न0 ग्राम नोहती की ख0न0 121,136,140,143,183,149 की भूमि पर प्रतिवादीगण खातेदार घोषित किया जावे वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पोलाईकला की ख0न0 182 की प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की जावे।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामानुसार उक्त वाद में ग्राम पोलाईकला की भूमि को शामिल करते हुए वाद डिक्री किये जाने का आदेश करें।

उक्त राजीनामों में सभी पक्षकार आपस में सहमत होने से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामानुसार ग्राम नोहती के ख0न0 96 की 0.56 है, ख0न0 97 की 0.65 है, ग्राम पोलाईकला के ख0न0 159 की 0.67 है, भूमि में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम नोहती के ख0न0 121 की 0.02 है, 136 की 0.05 है, 140 की 0.16 है, 143 की 0.22 है, 183 की 0.63 है, 149 की 0.59 है, 182 की 0.03 है, भूमि का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम पोलाईकला की भूमि खसरा न0 309 की 0.20 है, ग्राम नोहती की भूमि खसरा न0 139 की 1.41 है, कुल 2 किता की 1.61 है भूमि पर प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पारित निर्णय अनुसार पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व शुल्क लिया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक

को सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपरखण्ड अधिकारी  
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
दालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

सीन अधिकारी- दीपक महावर (आर.ए.एस.)

**उनवान**

पवन कुमार आत्मज प्रभुलाल जी जाति मेघवाल  
कंचन बाई बेवा प्रभुलाल जी जाति मेघवाल निवासीगण पोलाई कला तहसील  
दीगोद हाल राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान  
(वादीगण)

**बनाम**

- 1- जगदीश आत्मज हीरालाल जाति मेघवाल निवासी पोलाई कला हाल बालीता रोड,  
कच्ची बस्ती, कोटा जिला कोटा
- 2- कमला पुत्री हीरालाल, पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी दीगोद जिला कोटा
- 3- सुलोचना पुत्री बाबूलाल, पत्नी शम्भू दयाल जाति मेघवाल निवासी रायपुरा कोटा  
तहसील लाडपुरा जिला कोटा
- 4- मुकेश पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी पोलाई कला जिला कोटा
- 5- दिनेश पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल नि0 रायपुरा कोटा तह0 लाडपुरा कोटा
- 6- मन्जू बेवा बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी पोलाई कला तहसील दीगोद जिला  
कोटा राजस्थान
- 7- अब रेखा बेवा रामनिवास जाति मेघवाल निवासी कुन्हाडी बालापुरा कोटा
- 8- अनुष्का पुत्री रामनिवास जाति मेघवाल नाबालिग
- 9- कशिश पुत्री रामनिवास जाति मेघवाल नाबालिग जरिये वलिया माता रेखा बेवा  
रामनिवास निवासीगण कुन्हाडी बालापुरा कोटा जिला कोटा राजस्थान
- 10- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से -  
प्रतिवादीगण की ओर से-

श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट  
श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट**

**मिसल नं 37 / 2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब  
मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत सहमति  
से राजीनामा को वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की पक्षकारान के मध्य राजीनामा  
निम्नानुसार प्रस्तुत हुआ है:-

यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान के माननीय न्यायालय में जैरकार है उक्त लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है तहत निम्न निवेदन करते हैं

यह कि ग्राम नोहती के माल में दो खातो में खसरा न0 96,97,136,139,140,143,183 व की भूमि स्थित है तथा इसके अलावा पक्षकारान के सामलाती खाते में ग्राम पोलाईकला में खसरा न0 159,182 व 309 की 0.90 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है।

— यह कि ग्राम नोहती व ग्राम पोलाईकला की विवादित भूमियों का आपसी पारिवारिक विभाजन पक्षकारान के मध्य पूर्व में हो चुका है उसी अनुरूप मौके पर काबिज काशत है। जिसके आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी लिखित बंटवारा दिनांक 13.04.2023 को आलेखित हो चुका है। उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में बंटवारा किया जाना आवश्यक है। जिससे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

3—यह कि वादीगण के हिस्से में ग्राम नोहती तहसील दीगोद की खसरा न0 96 व 97 की भूमि वादीगण पवन कुमार व कंचन बाई के हिस्से में आई जिस पर पन कुमार वादी ने कृषि बिजली कनेक्शन करवा रखा है तथा उक्त भूमि वादीगण की काबिज काशत है वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

4—यह कि ग्राम पोलाई तहसील दीगोद की खसरा न0 309 की भूमि वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा खसरा न0 159 की 0.67 है भूमि वादीगण के हिस्से में आयी है। जिसका पूर्व में पारिवारिक बंटवारा हो चुका है जिस पर वादीगण ही काबिज काशत है का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है। यह कि सामलाती रूप से ग्राम पोलाई की भूमि खसरा न0 309 ग्राम नोहती की भूमि खसरा न0 139 पर वादीगण व प्रतिवादीगण सामलाती रूप से खातेदार घोषित किया जावे।

5— यह कि ग्राम नाहती की खसरा न0 96 व 97 व 159 की भूमि छोडकर शेष खसरा न0 ग्राम नोहती की ख0न0 121,136,140,143,183,149 की भूमि पर प्रतिवादीगण खातेदार घोषित किया जावे वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पोलाईकला की ख0न0 182 की प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की जावे।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामानुसार उक्त वाद में ग्राम पोलाईकला की भूमि को शामिल करते हुए वाद डिक्री किये जाने का आदेश करें।

उक्त राजीनामों में सभी पक्षकार आपस में सहमत होने से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामानुसार ग्राम नोहती के ख0न0 96 की 0.56 है0, ख0न0 97 की 0.65 है, ग्राम पोलाईकला के ख0न0 159 की 0.67 है0 भूमि में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम नोहती के ख0न0 121 की 0.02 है0, 136 की 0.05 है0, 140 की 0.16 है, 143 की 0.22 है0, 183 की 0.63 है0, 149 की 0.59 है0, 182 की 0.03 है0 भूमि का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम पोलाईकला की भूमि खसरा न0 309 की 0.20 है0,

इती की भूमि खसरा न० 139 की 1.41 है० कुल 2 किता की 1.61 है भूमि पर  
 एवं प्रतिवादीगण को सामलाती रूप से खातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक  
 राजीनामा अनुसार पारित निर्णय अनुसार पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 किया जावे। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार  
 शुल्क लिया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।  
 मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।

तहसीलदार अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
विवरण	रूपयै	पैसे	विवरण	रूपयै	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत०	0	0	मुत०	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी  
 दीगोद